


फर्द अहकाम
 कायदा नं. 2004 का अधिनियम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जयपुर

केस संख्या 49/2024

(सी. आर. आर.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/07/25	<p>को संरक्षित शवा जना आपाधिकृत व जापदक प्रतीत होता है। जिनके अन्तर्गत प्रथम दृष्टया निका 9 के अन्तर्गत अन्तर्गत स्थान कादेश पूर्व के पारित किया गया है। जो वर्तमान के प्रमाणों के आधार पर को कोट से न्यायालय द्वारा दु पूर्व अन्तर्गत स्थान कादेश 9 के अन्तर्गत के कोई मान्य विधिक आपति अथवा संशुभ संकेत प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वाद के निर्णय तक निका 9 के अन्तर्गत को संरक्षित शवा जना वादक द्वारा व आपाधिकृत के द्वारा नो अर्थात् प्राप्त है। अतः वादक द्वारा व आपाधिकृत के द्वारा पूर्व अन्तर्गत स्थान कादेश निका 08/05/25 को वादक द्वारा गुलनाद स्थान किया जाकर उम्पदुन पुरान को वाद अधीन निका आ. वि. नं. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 कुर अर्थात् निका 07 कुर अर्थात् 0.40 है। आ. वि. नं. 12 अर्थात् 0.13 है। अ. वि. नं. 16 अर्थात् 0.19 है। वादक द्वारा इपराडी तहसील कोट जिला जयपुर की निका व राजस्व निका की प्रमाणित प्रमाण शक जने हुए पाठक किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>प्राप्त की प्रमाण शक कोट जिला निका से प्रमाण है। वादक द्वारा यीवत प्रमाण है।</p>	


 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जयपुर
 न्यायालय-जयपुर